<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

अध्याय VIII, नियम 32 (2) (बी)

मामले का विवरण

निर्णय की तिथिः 28.04.2008

<u>दाण्डिक अपीलीय सं 2006 का 228</u>

<u>A.F.R। (रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत)</u>

रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं

(न्यायाधीश का सूक्ष्म हस्ताक्षर)

तारीखः28.4.2008

टिप्पणी: पीठ रीडर इसे फैसले के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर संलग्न करेगा जब इसे हस्ताक्षर के लिए न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा।

आरक्षित

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

दाण्डिक अपीलीय सं 2006 का 228

(1) मोहम्मद शाहिद उपनाम शब्बू पुत्र राशिद अहमद
(2) राशिद अहमद उपनाम मुन्ना पुत्र माजिर अहमद
निवासी यमुना विहार, दिल्ली।

.....अपीलार्थी।

बनाम

उत्तराखंड राज्य

.....विपक्षी ।

श्री अब्दुल वाहिद और श्री सिद्धार्थ साह, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।
श्री H.C. पुजारी, राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता।

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत,
जे. माननीय धरम वीर, जे.

[प्रफुल्ल सी. पंत, जे.]

यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के से की गई है (जिखंड इसके बाद Cr.P.C के रूप में संदर्भित किया विद्वान है।), सत्र विचारण सं. 1 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित 09.10.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। 2005 का 17, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद शाहिद उपनाम शब्बू को भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद I.P.C के रूप में संदर्भित) की खंड 498A और 304B के से दोषी ठहराया गया है), और अभियुक्त/अपीलार्थी राशिद अहमद उपनाम मुन्ना को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की खंड 4 के से दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त/अपीलकर्ता मोहम्मद शाहिद उपनाम शब्बू को उक्त अदालत ने धारा 304बी I.P.C से आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और धारा 498ए I.P.C के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 2, 000/- जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है जिसका भुगतान न करने पर अग्रेतर छह महीने के कठोर कारावास गुजारने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थी राशिद अहमद उपनाम मुन्ना को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा और 10 ,000/- का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें अग्रेतर निर्देश दिया गया है कि जुर्माना अदा करने मे व्यतिक्रम के मामले में छह महीने के कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

(2) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और निचली अदालत के अभिलेख का अध्ययन किया।

(3) अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि साइमा @सहाना बेगम (मृतक) जिला शाहजहांपुर के निवासी स्वर्गीय फिरासत खान की बेटी थी।अपने माता-पिता की मृत्यु पश्चात वह यमुना विहार, दिल्ली में अपनी चाची (बीयूए पिता की बहन) शकीला बेगम (P.W.2) के साथ रहने लगी। लियाकत खान (फिरासत खान के असली भाई/मृतक के चाचा), शिकायतकर्ता (P.W.1) ने शकीला बेगम (P.W.2) की मदद से मोहम्मद के साथ सायमा @साहना बेगम (मृतक) की शादी की व्यवस्था की। शाहिद उपनाम शब्बू (अभियुक्त/अपीलार्थी सं 1) राशिद अहमद (अभियुक्त/अपीलार्थी सं 2) मोहम्मद के पिता हैं। मोहम्मद शाहिद और साइमा की शादी दिल्ली में 30.11.2003 पर हुई। इसके बाद, मो.शाहिद, जो देहरादून में काम करता था, अपनी पत्नी (मृत) के साथ वहाँ रहने लगा। 10.03.2004 पर अभियोजन पक्ष के अनुसार, शकीला बेगम (P.W.2) और शिकायतकर्ता लियाकत खान (P.W.1) को दिल्ली में फोन पर जानकारी मिली कि साइमा की देहरादून में मृत्यु हो गई है, जहाँ वह अपने पति के साथ रहती थी। सूचना मिलने पर वे अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद के घर गए। शाहिद ने साइमा को मृत पाया। उसी दिन यानि 10.03.2004, लगभग 22.15 बजे , लियाकत खान (P.W.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (Ext.A -1) और उसी को पुलिस स्टेशन कोतवाली, देहरादून में दर्ज कराया , जिस पर अपराध सं 84/ 2004 मोहम्मद शाहिद और उसके रिश्तेदार के विरुद्ध धारा 498ए और 304बी I.P.C मे मामला दर्ज किया गया है। । प्रथम सूचना रिपोर्ट में, शिकायतकर्ता लियाकत खान ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद शाहिद, उसके पिता राशिद अहमद, मां शन्नो और भाई जावेद दहेज की मांग पूरी न करने पर मृतक को परेशान करते थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अग्रेतर यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने साइमा की हत्या कर दी और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस स्टेशन में सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर आनंद लाल (P.W.5) आरोपी मोहम्मद शाहिद के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और जाँच रिपोर्ट तैयार की (Ext.A -2)। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Ext.A-10) को पोस्टमॉर्टम जांच के लिए अनुरोध करते हुए पत्र भी तैयार किया, पुलिस फॉर्म नं. 13 (Ext.A-12), मृत शरीर का रेखाचित्र (Ext.A-13) और नमूना मुहर (Ext.A-14), और मृत शरीर को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। डॉ. हेमंत भारद्वाज (P.W.4) और डॉ. J.S बिष्ट दो चिकित्सा अधिकारियों के दल द्वारा पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया गया था। उन्होंने पाया कि आदम के सेब के ऊपर मृतक की गर्दन के चारों ओर 29 सेमी x 1 सेमी का बंधन का निशान था और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ext.A -9) तैयार की गई और राय दी कि मौत का कारण हाथ से गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। चूंकि यह कथित 'दहेज हत्या' का मामला था, इसलिए जांच बृजेन्द्र कुमार जुयाल, डिप्टी S.P (P.W.7) को सौंप दी गई थी।, जिन्होंने लियाकत खान शकीला बेगम, सिराजुद्दीन और अख्तर बेगम से पूछताछ की। इस बीच, उप निरीक्षक आनंद लाल, जिन्हें एक चुनरी (M.Ext.1) और मृतक द्वारा लिखा गया नोट (Ext.2) मिला था, जिसने फर्द ज्ञापन (Ext.A-15 और Ext.A-16) तैयार किया। जाँच अधिकारी (बृजेंद्र कुमार जुयाल) ने निकाहनामा (M.Ext.3) और एक निपटान विलेख (M.Ext.4) भी एकत्र किया। जाँच के दौरान उन्होंने 11.03.2004 पर स्थल का निरीक्षण किया और स्थल योजना (Ext.A-17) तैयार की। जाँच पूरा होने पर अभियुक्त मोहम्मद के विरुद्ध आरोप पत्र (Ext.A-18) दायर किया गया था। शाहिद उपनाम शब्बू (मृतक का पति), राशिद अहमद (मृतक का ससुर), शन्नो (मृतक की सास) और जावेद (मृतक का बहनोई) पर धारा 498ए और 304बी के से दंडनीय अपराधों के संबंध में विचारण चलाया जाएगा।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने आरोप पत्र की प्राप्ति पर, अभियुक्त को आवश्यक प्रतियां देने के पश्चात जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संघिता की धारा 207 के लिए आवश्यक है, मामले का सत्र विचारण प्रतीत होने पर मुकदमे को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया है। देहरादून के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के पश्चात सभी चार अभियुक्तों, अर्थात् मोहम्मद शाहिद उपनाम शब्बू, राशिद अहमद, शन्नो और जावेद के विरुद्ध धारा 498ए और 304बी I.P.C और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की खंड 4 के दंडनीय अपराधों के आरोप तय किए, जिन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। उसी दिन मोहम्मद शाहिद उपनाम शब्बू के विरुद्ध धारा 302 I.P.C के से दंडनीय अपराध के संबंध में एक अलग वैकल्पिक आरोप तय किया गया था, जिस पर भी उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इस पर अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता और मृतक के चाचा लियाकत, शकीला बेगम (मृतक की चाची), कांस्टेबल हीरा सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने चेक रिपोर्ट तैयार की (Ext.A -6) पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट, P.W.4 कैप्टन हेमंत भारद्वाज, एक चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टरों की टीम के सदस्य, जिन्होंने साइमा के शव का पोस्टमार्टम किया, P.W.5 सब इंस्पेक्टर आनंद लाल, जिन्होंने जांच शुरू की, P.W.6 नसीम जहां (पक्षद्रोही घोषित) और P.W.7 बृजेंद्र कुमार जुयाल, डिप्टी S.P. जांच किसे सौंपी गई और जिसने जांच पूरी की। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य सहित सभी साक्ष्य धारा 313 Cr.P.C के से अभियुक्त के सामने रखे गए थे। जिसके जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि 30.11.2003 पर साइमा (मृतक) ने मोहम्मद शाहिद से शादी कर ली। यद्यपि बाकी सबूतों को झूठा बताया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि उन्हें शत्रुता के कारण गलत तरीके से फंसाया गया था। बचाव में अभियुक्त की ओर से सिराजुद्दीन को परीक्षित कराया गया। पक्षकारों को सुनने पश्चात निचली विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष I.P.C की धारा 498A और 304B या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के से दंडनीय अपराधों के आरोप को शन्नो उपनाम शहनाज और जावेद उपनाम अन्नू के विरुद्ध साबित करने में विफल रहा, और परिणामस्वरूप उन्हें आरोप खंड बरी कर दिया गया। निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी राशिद अहमद (वर्तमान अपीलकर्ता नं. 2) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के से मात्र दंडनीय अपराध के आरोप का दोषी, लेकिन किसी अन्य आरोप का दोषी नहीं पाया गया, जैसा कि मात्र दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के से दोषी ठहराया गया था। यद्यपि मो.शाहिद (वर्तमान अपीलकर्ता सं 1) धारा 304बी और धारा 498ए I.P.C के से दंडनीय अपराधों के आरोप में दोषी पाया गया था और सजा पर सुनवाई के पश्चात मोहम्मद शाहिद को धारा 304बी I.P.C के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और धारा 498ए I.P.C के अन्तर्गत दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5, 000/- रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया, जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास गुजरने का निर्देश दिया गया था। राशिद अहमद को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत एक साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, और 10 ,000/- का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था भुगतान में व्यतिक्रम करने पर, छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास खंड गुजरने का निर्देश दिया गया था। देहरादून के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण सं. 2005 का 17 में पारित उक्त निर्णय और आदेश दिनांक 09.10.2006 से व्यथित होकर दो दोषियों द्वारा यह अपील दायर की गई है।

(5) अग्रेतर की चर्चा से पहले वर्तमान मामले में लागू कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है। 'दहेज मृत्यु' शब्द को धारा 304बी मे परिभाषित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर शारीरिक चोट के किसी भी जलने खंड होती है या सामान्य परिस्थितियों खंड अन्यथा होती है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु खंड कुछ समय पहले उखंड उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा। इसमें अग्रेतर यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे पति और रिश्तेदार को मृत्यु का कारण माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए में यह प्रावधान है कि जब यह प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया जाता है कि उसने अपनी शादी की तिथि खंड सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और कि उसके पति या उसके पति के ऐखंड रिश्तेदार ने उखंड क्रूरता का शिकार बनाया था, तो अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐखंड रिश्तेदार द्वारा की गई थी।इसमें अग्रेतर यह प्रावधान किया गया है कि इस धारा (113ए) के प्रयोजनों के लिए 'क्रूरता' का वही अर्थ होगा जो धारा 498ए I.P.C मे है। धारा 498ए I.P.C. की व्याख्या में दुनिया को 'क्रूरता' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करता है या महिला का उत्पीड़न करता है, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी सम्पति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या उसके या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है, क्रूरता होगी।

(6) हमें लगता है कि डॉ. हेमंत भारद्वाज (P.W.4) द्वारा मृतक के शव पर पाए गए पूर्व-शव परीक्षण घावों का उल्लेख करना अभी उचित और उचित है, जिन्होंने डॉ. J.S बिष्ट के साथ पोस्टमॉर्टम परीक्षा की थी और शव परीक्षण रिपोर्ट (Ext.A-9) तैयारकी थी । पूर्व-शव परीक्षण चोटों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "गर्दन के चारों ओर 29x1 सेमी का अपूर्ण बंधन चिह्न मौजूद है, जो एडम के सेब के ऊपर से गुजरता है और इसके ऊपर अधूरा होता है।गर्दन का एक तरफ।लिगचर मार्क की त्वचा भूरे रंग की और कठोर चर्मपत्र जैसी होती है।इसके विच्छेदन पर पेटिकल रक्तस्राव नीचे और आसपास मौजूद होते हैं। हयॉइड हड्डी गर्दन के दाहिने तरफ निर्देशित दूरस्थ टुकड़े के साथ दाहिने बड़े कॉर्नू का फ्रैक्चर भी फ्रैक्चर की जगह के ऊपर 2 सेमी x 1 सेमी का लाल भूरे रंग का संदूषण दिखाता है।

आंतरिक जांच में, उन्होंने पाया कि स्वरयंत्र और ब्रोंकी भीड़भाड़ वाले, फेफड़े भीड़भाड़ वाले थे। अंगों की पीढ़ी की एक जांच में, यह पाया गया कि गर्भाशय 13 सेमी के अच्छी तरह से विकसित पुरुष भ्रूण को दिखाता है। 3-4 महीनों की संभावित आयु के साथ अच्छी तरह से गठित नाल के साथ लंबाई। दोनों चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा कि मौत का कारण हाथ से गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था।

(7) उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि मृतक की मृत्यु हत्या और अप्राकृतिक मृत्यु हुई है।अब इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद।शाहिद ने अपनी पत्नी (मृतक) के साथ क्रूरता की और दहेज की मांग को पूरा न करने या न करने के लिए उसकी मृत्यु से पहले उसे परेशान किया।इस न्यायालय को यह भी देखना है कि क्या अपीलकर्ता नं. 2 राशिद अहमद (मृतक के ससुर) ने दहेज की मांग की, जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की खंड 4 के से दंडनीय कार्य है।

(8) P.W.1 लियाकत, शिकायतकर्ता (मृतक के चाचा) ने कहा है कि साइमा (मृतक) उनके बड़े भाई की बेटी थी। गवाह अग्रेतर कहता है कि उसके बड़े भाई (मृतक के पिता) की वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, वह अपनी चाची (फूफी/ बुआ) शकीला बेगम (P.W.2) के साथ रहने लगी। P.W.1 लियाकत खान अग्रेतर कहता है कि उसने और उसकी बहन शकीला बेगम ने आरोपी मोहम्मद के साथ साइमा की शादी की व्यवस्था की। शाहिद उपनाम शब्बू और शादी 30.11.2003 पर हुई। इस गवाह के अनुसार Rs.31, 000/- शादी से एक दिन पहले दिए गए थे और Rs.20, 000/- चौथी के दिन दिए गए थे। इस गवाह ने अग्रेतर कहा कि शादी के पश्चात जब भी मृतक उनके (चाचा और चाची) पास आती थी तो वह शिकायत करती थी कि आरोपी शाहिद (पति), राशिद अहमद (ससुर), शन्नो (सास) और जावेद (बहनोई) वही कहते थे जो वह अपने घर से लेकर आई थी। गवाह बताता है कि मृतक उसे बताता था कि आरोपी उन्हें दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। P.W.1 लियाकत ने कहा है कि जब वह आखिरी बार उसके घर आई तो उसने अपने पति के घर वापस जाने अस्वीकार करना कर दिया। जब मोहम्मद.शाहिद उसे वापस ले जाने आया, गवाह के अनुसार, उसने जोर देकर कहा कि परिवार के बुजुर्गों को आकर मामला सुलझा लेना चाहिए। गवाह ने अग्रेतर कहा कि इसके बाद शाहिद अपने परिवार के बड़ों के साथ आया और वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि वे मृतक को कोई परेशान नहीं करेंगे। उनके वादे पर मृतक को उसके पति के साथ वापस भेज दिया गया। हालाँकि, 10 मार्च 2004 को एक टेलीफोन कॉल आया कि साइमा यद्यपि मृत्यु हो गई है। गवाह बताता है कि जिस दिन उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (Ext.A -1) पुलिस के साथ। वह अग्रेतर जाँच रिपोर्ट को साबित करता है (Ext.A -2) साइमा के शव को सील करने के पश्चात उसके सामने तैयार किया गया। P.W.1 लियाकत ने निकाहनामा (विवाह विलेख) को भी साबित किया है, जो अभिलेख में Ext.A-4 है। उन्होंने मृतक द्वारा लिखे गए ध्यान दें को भी साबित किया है (Ext.A -5) यह कहते हुए कि वह साइमा के लेखन से परिचित है और उसकी लिखावट की पहचान करता है।

(9) शकीला बेगम ने अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि की है जैसा कि P.W.1 लियाकत खान ने सुनाया है।इस गवाह ने कहा है कि मृतक की मां और पिता की मृत्यु उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। गवाह ने यह भी कहा है कि 30 नवंबर 2003 को आरोपी शाहिद उपनाम शब्बू के साथ साइमा की शादी के पश्चात आरोपी शाहिद (पति), ससुर, सास और मृतक के जीजा शादी में दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। उसने विशेष रूप से कहा है कि आरोपी/अपीलार्थी शाहिद पैसे की मांग करता था। साइमा ने उसे (P.W.2) बताया कि उसने (मृतक) पैसे लाने के लिए कहा है और क्योंकि उसके पति को व्यवसाय चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है। यह उसके (P.W.2) द्वारा अग्रेतर कहा गया है कि मृतक ने उसे बताया कि शाहिद ने यह कहकर पैसे की मांग की है कि उसे परेशान नहीं किया जाता है, भले ही पैसा कमाया जाता है और वेश्यावृत्ति करके लाया जाता है। इस पर मृतक की चाची शकीला बेगम कहती हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों में उन्होंने साइमा को अपने ससुराल जाने से रोक दिया था। हालाँकि, 16 फरवरी 2004 को आरोपी शाहिद यद्यपि उसके माता-पिता मृतक को वापस ले गए। 10 मार्च 2004 को लगभग 5.30 पूर्वाहन सुबह उन्हें किसी

अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि साइमा की मृत्यु हो गई है। गवाह के अनुसार इस पर वह साइमा के घर गई और पाया कि वह पंखे से लटकी हुई थी। अंत में उसने कहा है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर आरोपी मृतक को पीटता था।

(10) जहाँ तक दहेज की माँग को पूरा न करने के लिए उत्पीड़न और क्रूरता का संबंध है, निचली विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर सही ध्यान दें है कि ससुर (राशिद अहमद), सास (शन्नो) और बहनोई (जावेद) दिल्ली में रहते थे, जबकि मृतक देहरादून में अपने पति शाहिद के साथ रहता था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। हम निचली विचारण न्यायालय से सहमत हैं कि चूंकि ससुर, सास और जीजा मृतक के साथ नहीं रह रहे थे, इसलिए लियाकत खान और शकीला बेगम के सबूत इस सीमा तक हैं कि तीनों ने क्रूरता की या मृतक को परेशान किया, इस पर उचित संदेह के बाद विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों (राशिद अहमद, शन्नो और जावेद) को धारा 498ए और 304बी के से दंडनीय अपराधों के आरोप से दोषमुक्ति दिया गया। वह किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। अभियुक्त/अपीलकर्ता सं 2 राशिद अहमद को निचली विचारण न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के से दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी ठहमता है, क्योंकि यह साबित हुआ कि उसने शादी खंड एक दिन पहले 31,000/- रुपये प्रतिग्रहण करना किए थे, लेकिन हमारी मत में अपीलकर्ता नं. 2 राशिद अहमद को बिना किसी मांग के शादी खंड पहले केवल 1,000 रुपये की स्वीकृति के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है, जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के से दंडनीय अपराध के घटकों को पूरा नहीं करता है। उक्त अधिनियम की खंड 4 के से दंडनीय अपराध के गठन के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की खंड 4 के से दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने दहेज की मांग की है। जाँच किए गए गवाहों के साक्ष्य में एक भी शब्द नहीं है कि राशिद अहमद ने अपने द्वारा की गई किसी भी मांग को पूरा करने के लिए Rs.31, 000/- को स्वीकार किया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता नं. 2 दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की खंड 4 के से दंडनीय अपराध के आरोप में राशिद अहमद कानून में गलत है और अपीलकर्ता सं 2 उक्त आरोप पर भी बरी होने का हकदार है।

(11) जहाँ तक अपीलकर्ता सं। 1 मो.शाहिद उपनाम शब्बू चिंतित है क्योंकि उसके विरुद्ध अभिलेख पर ठोस सबूत हैं जो साबित करते हैं कि उसने दहेज की मांग को पूरा न करने पर मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था।मृतक के चाचा लियाकत और मृतक की चाची शकीला बेगम ने आरोपी/अपीलकर्ता मोहम्मद शाहिद के साथ मृतक की शादी कराने के पश्चात तथ्यों का स्वाभाविक वर्णन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि न मात्र मृतक उसके साथ हुए उत्पीड़न और उसके विरुद्ध पश्चात गई क्रूरता के बारे में बताता था, बल्कि उन्होंने अग्रेतर कहा है कि परिस्थितियों में उन्हें मृतक को अपने पति के घर से वहां जाने के लिए रोकना पड़ा। लेकिन, गवाहों के अनुसार अभियुक्त अपीलकर्ता मोहम्मद शाहिद ने बुजुर्गों के पश्चात वादा किया कि मृतक के विरुद्ध कोई क्रूरता नहीं की जाएगी, इससे पहले कि उसे अपने पति के साथ जाने की अनुमति दी जाए। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मृतक (साइमा) अपने पति मोहम्मद शाहिद के साथ देहरादून में रह रही थी। मोहम्मद शाहिद के अन्य रिश्तेदार दिल्ली में रहता था। इस प्रकार जो भी क्रूरता की जाती है वह मात्र अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद शाहिद की ओर से थी। जिसके साथ उसकी पत्नी (मृत) रह रही थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिलेख पर चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु के समय 3-4 महीने की गर्भावस्था थी। पोस्टमॉर्टम जाँच (Ext.A-9) से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु से नहीं, बल्कि

जानलेवा मृत्यु से हुई थी। इसलिए, धारा 498ए और 304बी I.P.C में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए के साथ पढ़े जाने पर, अभिलेख पर साक्ष्य खंड यह स्पष्ट रूप खंड स्थापित होता है कि मोहम्मद शाहिद ने मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और दहेज हत्या को अंजाम दिया।

(12) अपीलकर्ता सं. 1 की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि क्रूरता को मृत्यु से तुरंत पहले साबित किया जाना चाहिए और क्रूरता और मृत्यु के बीच निकटता होनी चाहिए। अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन पर हम पाते हैं कि मृतक की मृत्यु और उसके विरुद्ध की गई क्रूरता के बीच निकटता है। इस प्रकार **कांस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 5 उच्चतम न्यायालय के मामलों 207 और बलवंत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004) 7 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 724** में निर्धारित कानून का सिद्धान्त अपीलकर्ता के लिए कोई सहायक नहीं है। यदि एक वर्ष से अधिक आयु के विवाह का मामला होता, तो हम इस बिंदु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क की सराहना कर सकते थे, लेकिन वर्तमान मामले में यह उल्लेख करना उचित है कि विवाह 30.11.2003 पर हुआ है। मृतक के अपपश्चात पति के घर से अपनी चाची के घर वापस जापश्चात के बाद आरोपी मोहम्मद उसे वहां से वापस ले गया। शाहिद 16.02.2004 पर और उसके बाद एक महीने के भीतर, 10.03.2004 पर मृत्यु हो गई है, जैसे कि शादी और मृत्यु के बीच मुश्किल से चार महीने से भी कम समय बीत चुका था। जैसा कि यह स्पष्ट है कि क्रूरता की अवधि और मृत्यु की तिथि के बीच कोई लंबा अंतर नहीं है।

(13) यह अपीलकर्ता सं. 1 की ओर से भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है और अपीलकर्ता सं. 1 ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया कानून में गलत है। हम अपीलकर्ता सं. 1 की ओर खंड दिए गए विवाद में कोई बल नहीं देखते हैं। इस कारण खंड कि 'दहेज मृत्यु' के मामले में साक्ष्य की धारा 498ए और 304बी I.P.C. के प्रावधानों के आलोक में सराहना की जानी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ए के साथ पढ़ें। अपीलकर्ता के विवाह का तथ्य सं. 1 मो.मृतक (साइमा) के साथ शाहिद उपनाम शब्बू एक स्वीकृत तथ्य है। अभिलेख पर यह भी स्थापित किया गया है कि मृतक की मृत्यु देहरादून में उसके पति के घर में हुई थी, जहाँ उसके पति के अलावा कोई और उसके साथ नहीं रह रहा था। इन परिस्थितियों में P.W.1 लियाकत और P.W.2 शकीला बेगम द्वारा जो भी सबूत पेश किए गए हैं, उनकी उस पृष्ठभूमि में सराहना की जानी चाहिए। अपीलकर्ता सं 1 मो. शाहिद (मृतक के पति) को दहेज हत्या के मामले में वर्तमान की तरह अपने बयान के साथ आना चाहिए था कि कैसे उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। हमने D.W.1 सिराजुद्दीन के बयान को पढ़ा है, जिसद्वारा कहा है कि शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उन्होंने अग्रेतर कहा था कि मृतक ने कभी भी अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि वह अपने ससुराल वालों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार से नाखुश थी। लेकिन इस गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दिल्ली के भज़नपुरा का निवासी है और मृतक अपने पति के साथ देहरादून में रह रहा था। उसका सबूत कि मृतक ने अपनी बेटी को जो बताया था, वह सुनी सुनाई बात है और इसे सबूत में स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है।

(14) यह अपीलकर्ता सं.1 की ओर से भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट मांग का कोई उल्लेख नहीं है और अस्पष्ट आरोपों पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक को दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। हम अपीलकर्ता नं.1 के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण करने में बहुत अधिक

सार नहीं पाते हैं। इस कारण से कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट उल्लेख है कि उस दिन किसी भी दिन पैसे की मांग की जाती थी जैसा कि मृतक ने अपने चाचा और चाची को बताया था। शकीला बेगम, जिनके साथ मृतक अपने माता-पिता की मृत्यु के पश्चात रहती थी और अपने पति के घर से जाती थी, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक (साइमा) ने उसे बताया कि आरोपी उससे पैसे लाने के लिए कहता था और उसे (पति) इस बात की चिंता नहीं थी कि वह वेश्यावृत्ति करके कमाया और लाया जाता है या नहीं।

(15) अंत में, यह अपीलकर्ता सं. 1 कि शिकायतकर्ता या मृतक की चाची या मृतक द्वारा पहले पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई थी कि उसे दहेज की मांग के लिए परेशान किया गया था। इस संबंध में हमारा ध्यान **प्रेम सिंह बनाम अमरजीत सिंह ए. आई. आर. 1997 सुप्रीम कोर्ट221** के मामले की ओर भी आकर्षित किया जाता है। हम उक्त मामले के कानून द्वारा गुजरे हैं और हम पाते हैं कि उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले द्वारा अलग हैं। वर्तमान मामले में मौत शादी के साढ़े तीन महीने के भीतर और शादी और मृत्यु की अवधि के बीच हुई है, गवाहों (P.W.1 लियाकत और P.W.2 शकीला बेगम) के अनुसार उन्हें मृतक द्वारा बताया गया था कि दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए उसे क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने मृतक को उसके पति के साथ भेजने अस्वीकार करना कर दिया और यह उसके (मोहम्मद) के पश्चात ही मात्र।शाहिद के) बुजुर्गों ने वादा किया कि उसे (मृतक) भविष्य में क्रूरता का शिकार नहीं किया जाएगा, उसे वापस भेज दिया गया क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि लियाकत और शकीला बेगम ने पुलिस में शिकायत करना उचित नहीं समझा होगा जो शायद मृतक और उसके पति के बीच अपूरणीय वैवाहिक कलह का कारण बनता।

(16) ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हमारा विचार है कि जबकि अपीलकर्ता की अपील सं 2 राशिद अहमद को अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनके द्वारा स्वीकार किए गए Rs.31, 000/- के संबंध में साबित नहीं होता है कि उन्हें उनके द्वारा की गई किसी भी मांग के जवाब में राशि मिली थी। यद्यपि अपीलकर्ता की अपील सं 1 मो.शाहिद उपनाम शब्बू धारा 498ए और 304बी I.P.C. के से अपनी दोषसिद्धि के संबंध में और उन मामलों में दी गई सजाएं खारिज की जा सकती हैं। तदनुसार अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। राशिद अहमद के विरुद्ध दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 से दंडनीय अपराध के आरोप में दर्ज दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। वह उक्त आरोप से भी बरी किया जाता है। अपीलकर्ता सं. 2 राशिद अहमद जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त/अपीलार्थी सं. 1 मो.शाहिद के विरुद्ध धारा 498ए और 304बी I.P.C. के दंडनीय अपराधों दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी सं. 1 मो.शाहिद जेल में है। रजिस्ट्री को इस फैसले की प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(धरम वीर, जे.) (प्रफुल्ल सी. पंत, जे.)

28.04.2008

NS